न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(कुशल कुमार कोठारी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 21/2020
जीसीएमएस न0 :— 2020/00052
दायर दिनांक :— 11—09—2020
निर्णय दिनांक :— 11—04—2022

अनवान

1. श्रीमती कमला बाई पुत्री स्व0 वेणा कुमावत आयु 50 वर्ष पत्नि मांगीलाल कुमावत निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. श्रीमती बदाम बाई पुत्री स्व0 वेणा कुमावत आयु 45 वर्ष पत्नि रामलाल कुमावत निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

———अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती मोली बाई पत्नि स्व0 वेणा कुमावत आयु 80 वर्ष निवासी बामनिया कला तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1510 निर्णय दिनांक 29.01.2008 तहसीलदार, रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

उपस्थित :—

1— श्री, दिनेश पंचौली, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री जगदीश पालीवाल, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1
3— श्री अनिल कुमार बागौरा, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

निर्णय दिनांक 11.04.2022

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रेलमगरा द्वारा राजस्व ग्राम बामणिया कला पटवार हल्का बामणिया कला

में स्थित भूमि पर स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 1510 निर्णय दिनांक 29.01.2008 से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कि गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण खोलने में कानूनी भूल की है। उक्त नामान्तरकरण विरासत के आधार पर वेणा पिता जालम कुमावत की मृत्यु उपरान्त खोला गया। जिसमें मृतक वेणा कुमावत के विधिक वारिसान की विधिवत् जांच किये बिना अपीलान्ट को छोडकर केवल वेणा जी की पत्नि रेस्पो0 संख्या 1 भोली बाई के नाम स्वीकृत कर दिया गया जो कानूनन विधि विरूद्ध होने से खारीज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1510 निर्णय दिनांक 29.01.2008 को निरस्त किया जाकर अपीलान्टस का नाम भी जोडा जावे।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस में अपीलान्ट की बातो का समर्थन कर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

राजकीय अधिवक्ता की ओर से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में हिन्दु उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के आरम्भ के पश्चात किसी हिन्दु की मृत्यू हो जाती है वहा यथास्थिति संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब की सम्पति में इस अधिनियम के अधीन पुत्री को भी अपने पिता की सम्पति में पुत्र के समान अधिकार प्राप्त है। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय के दृष्टान्त विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य आरआरटी 2020(2) पेज संख्या 998 के दिशा निर्देशानुसार पुत्री को

जन्म से ही सहदायिकी सम्पति में अधिकारी माना है। इस अनुसार तहसीलदार रेलमगरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1510 दिनांक 29.01.2008 के आदेश में कानुन की विधिवत पालना नही होने से एवं विरासत के नामान्तरकरण में बिना किसी विधिक वारिसानों की जॉच किये उक्त नामान्तरकरण खोला गया है। ऐसी स्थिति में मैं उक्त मामले में नामान्तरकरण संख्या 1510 दिनांक 29.01.2008 को अपास्त करते हुये पुनः नियमानुसार जॉच कार्यवाही की जाकर प्रकरण का नये सिरे से निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ।

::आदेश::

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निष्पादित नामान्तरकरण संख्या 1510 दिनांक 29.01.2008 को अपास्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार, रेलमगरा को रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्त आर्ब्जरवेशन को मध्यनजर रखते हुये मामले में सुसंगत उत्तराधिकारीगण की जॉच कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि अनुसार नामान्तरकरण कार्यवाही की जावें ।

(कुशल कुमार कोठारी)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुशल कुमार कोठारी)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द